भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 522

बुधवार, 1 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

522. श्री मारगनी भरत:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न क्षेत्रों द्वारा 1 अप्रैल, 2021 के बाद उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लाभ उठाने के लिए किए गए निवेश का क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय द्वारा घरेलू वस्तुओँ जैसे एसी, एलईसी आदि के लिए पीएलआई योजना में छूट देने की योजना बनाई जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): भारत के **'आत्मनिर्भर'** बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ाने के लिए, वित्तीय वर्ष **(वित्त वर्ष) 2021-22** से शुरू होने वाले विनिर्माण के 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं हेतु **केन्द्रीय बजट 2021-22** में **1.97 लाख करोड़ रूपए** (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर) परिव्यय की घोषणा की गई है।

इन **13 क्षेत्रों** में मौजूदा 3 क्षेत्र पहले से शामिल हैं यथा (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण शुरूआती सामान/मध्यवर्ती औषधियाँ और सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक, (iii) चिकित्सा संबंधी उपकरणों का विनिर्माण शामिल है और नवंबर, 2020 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा **10 नए प्रमुख क्षेत्रों** को अनुमोदित किया गया है। ये **10 प्रमुख क्षेत्र** है:-

(i) ओटोमोबाइल और ऑटो घटक, (ii) फार्मास्युटिकल ड्रग्स, (iii) विशिष्ट इस्पात, (iv) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (v) इलेक्ट्रॉनिक/ प्रौद्योगिकी उत्पाद, (vi) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (vii) खाद्य उत्पाद, (viii) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (ix) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉडयूल्स तथा (x) एडवांस केमिस्ट्री सैल (एसीसी) बैटरी।

अतिरिक्त क्षेत्रों, ड्रोन और ड्रोन घटक के लिए भी सितंबर, 2021 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएलआई योजना को अनुमोदित किया गया है। पीएलआई योजनाओं की घोषणा के साथ ही अगले पांच वर्षों और उसके बाद **उत्पादन, रोजगार सृजन तथा आर्थिक विकास** प्रत्याशित है।

ये पीएलआई योजनाएं संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 अप्रैल, 2021 के बाद

विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किए गए निवेश के संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त ब्यौरे संबंधी एक विवरण **अनुबंध** में तालिका के रूप में देखा जा सकता है।

(ख) और (ग): व्हाइट गुड्स हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना में छूट देने की कोई योजना नहीं है।

****

अनुबंध

दिनांक 01.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 522 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

1 अप्रैल, 2021 के पश्चात विभिन्न क्षेत्रों द्वारा किए गए निवेश का विवरण

क्र.सं.	**कार्यान्वित कर्ता मंत्रालय/विभाग**	**क्षेत्र**	**01.04.2021 के बाद प्राप्त निवेश (करोड़ रू. में)**
मौजूदा पीएलआई योजना			
i	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)	मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक (व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण)	01.04.2020 के पश्चात व्यापक स्तर के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत कंपनियों द्वारा किया गया अनुमोदित निवेश लगभग 3,000 करोड़ रू. है।
ii	औषध विभाग	महत्वपूर्ण शुरूआती सामग्री/मध्यवर्ती औषधियाँ और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री	इस योजना के तहत, 4347.26 करोड़ रू. के कुल प्रतिबद्ध निवेश के साथ 42 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है।
iii	औषध विभाग	चिकित्सा संबंधी उपकरणों का विनिर्माण	इस योजना के तहत, 798.93 करोड़ रू. के कुल प्रतिबद्ध निवेश के साथ 13 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है।
नई घोषित पीएलआई योजना			
i	भारी उद्योग विभाग	एडवांस केमिस्ट्री सैल (एसीसी) बैटरी	बोलीदाताओं/निवेशकों के चयन हेतु बोली प्रक्रिया चल रही है।
ii	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)	इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिक उत्पाद (आईटी हार्डवेयर)	01.04.2021 के बाद आईटी हार्डवेयर हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत अनुमोदित कंपनियों द्वारा किया गया निवेश लगभग 17 करोड़ रू. है।
iii	भारी उद्योग विभाग	ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक	आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस हेतु विंडो 11 नवंबर, 2021 से 09 जनवरी, 2022 तक अर्थात 60 दिनों तक खुली हैं।
iv	औषध विभाग	फार्मास्युटिकल ड्रग्स	278 आवेदन प्राप्त हुए जिसे नवंबर, 2021 के अंत तक अंतिम रूप दिया जाएगा।
v	दूर संचार विभाग	दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उत्पाद	भारत में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सितंबर, 2021 तक पीएलआई योजना के तहत किया गया निवेश

			182.8 करोड़ रू. है।
vi	वस्त्र मंत्रालय	वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र	योजना संबंधी दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिया जाना है।
vii	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	खाद्य उत्पाद	कवरेज हेतु आवेदनों को अंतिम रूप दिया जाना है।
viii	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स	आवंटित निधि की सीमा के लिए निर्णय पत्र जारी किया गया है। योजना संबंधी ब्यौरे प्रतीक्षित हैं।
ix	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)	व्हाईट गुड्स (एसी और एलईडी)	03.11.2021 की स्थिति के अनुसार पीएलआई योजना के तहत लाभार्थी के रूप में चयनित 42 आवेदकों ने 4614 करोड़ रू. का सांकेतिक निवेश किया है।
x	इस्पात मंत्रालय	विशिष्ट इस्पात	योजना को जारी रखने हेतु दिनांक 20.10.2021 को योजना संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए हैं।

(स्रोत: कार्यान्वित करने वाले संबंधित मंत्रालय/विभाग)

****